लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 22 मई, 2020 को सायं 4:00 बजे प्रशासनिक भवन कुलपति कार्यालय में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे:–

1.	**श्री आलोक कुमार राय**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2.	श्री श्रवण कुमार सिंह	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	श्री मदन राजा मौर्य	संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक कोषागार प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4.	डा0 विनोद कुमार सिंह,	कुलसचिव	सदस्य
5.	प्रो0 ए. एम. सक्सेना	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	श्री संजय श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य
7.	प्रो0 अमिता बाजपेयी	राज्य समन्वयक, जे.ई.ई.बी.एड. 2020–22, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	विशेष आमंत्री
8.	प्रो0 पूनम टण्डन	अधिष्ठाता छात्र कल्याण, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	विशेष आमंत्री
9.	प्रो0 नवीन के. खरे	रसासन शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	विशेष आमंत्री
10.	प्रो0 राजीव मनोहर	निदेशक, आई.क्यू.ए.सी., लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	विशेष आमंत्री

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2020 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया:–

1. अन्य बिन्दु संख्या–1: शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैश लेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु पूर्व में गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न बीमा कम्पनियों से सम्पर्क करते हुए समस्त कार्यवाही कर ली जाए तथा समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
2. अन्य बिन्दु संख्या–8: "CROWD FUNDING" से सम्बन्धित नियमावली यथाशीघ्र तैयार कर ली जाए तथा आगामी बैठक में प्रस्तुत करायी जाए।

V.C.

बिन्दु संख्या–02

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयेाजित किये जाने वाले जे.ई.ई.बी.एड. प्रवेश परीक्षा, 2020–22 हेतु तैयार किये गये आय–व्ययक को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय की अद्यावधिक परिनियमावली के भाग–7 के संगत प्रस्तरों के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–03

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के आर्थिक चिट्ठों को समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रस्तुत आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित अग्रिमों के समायोजन की समीक्षा करते हुए यथाशीघ्र समायोजन की प्रभावी कार्यवाही की जाए, जिससे कि आर्थिक चिट्ठे में परिलक्षित अग्रिम धनराशियों में कमी लायी जा सके।

बिन्दु संख्या–04

यूको बैंक में खुले लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा निधि खाता संख्या 00600200000149 से कूटरचना करके रू0 1,39,78,067.00 मात्र के भुगतान के सापेक्ष रू0 42,00,000/– की प्रतिपूर्ति यूको बैंक द्वारा कर दिये जाने व शेष धनराशि दिये जाने पर यूको बैंक, विश्वविद्यालय शाखा द्वारा कार्यवाही प्रगति पर होने से सम्बन्धित जानकारी से समिति को अवगत कराया गया, जिस पर समिति द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

बिन्दु संख्या–05

संकायाध्यक्ष विधि संकाय द्वारा भुगतान हेतु प्रेषित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें बार काउन्सिलिंग ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अनिवार्य पाठ्यक्रम को पढाने/न्यायालय के अधिवक्ताओं का चयन संकायाध्यक्ष एवं अन्य प्रोफेसर्स के सहयोग से किया जाना है। इन अधिवक्ताओं एवं सहयोग करने वाले प्रोफेसर्स को एक मुश्त (फिक्स) धनराशि रू0 10,000/–के भुगतान से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा यह विचार व्यक्त करते हुए कि यह भुगतान सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए ही अनुमन्य हो और किसी भी दशा में यह धनराशि एक शैक्षणिक सत्र में रू0 10,000/– प्रति अधिवक्ता से अधिक न हो, सर्वसम्मति से इस सीमा तक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

V.C.

वित्त समिति के अध्यक्ष/कुलपति महोदय के अनुमति से प्रस्तुत अन्य बिन्दुः

अन्य बिन्दु संख्या–01

प्रो0 राजीव मनोहर, निदेशक, इन्टर्नल क्वालिटी एस्योरेन्स सेल. द्वारा निम्नवत् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त इस शर्त के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया कि उक्त योजनाओं हेतु विश्वविद्यालय के 2020–21 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ही इन योजनाओं का संचालन किया जाए:–

(A) PROTSAHAN, A novel scheme for seed money.

(B) UDDEEPAN, Best research paper award.

(C) ACCLAIM, Incentivization policy.

अन्य बिन्दु संख्या–02

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2020 के मद संख्या 6 पर Poor Student Aid Fund के नाम को बदल कर Student welfare Fund किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर वित्त समिति के द्वारा Student welfare Fund की Guidelines तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये थे। तत्क्रम में प्रो0 पूनम टण्डन, अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा Student welfare Fund की Guidelines तैयार कर वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमति प्रदान की गयी:–

(1) Guidelines में "Student welfare Fund" (S.W.F.) में प्राप्तियों के स्रोत निम्नवत् होंगे:–

(i) Annual contribution from each studens taken in fee at the time of admission in course. (All Semester/Year)

(ii) Voluntary Contribution from the student.

(iii) Voluntary contribution from other sources/persons.

(2) कर्मयोगी योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को दी जाने वाली धनराशि पूरे शैक्षणिक सत्र में अधिकतम रू0 15,000/– प्रति चयनित/पात्र विद्यार्थी होगी।

उक्त संशोधनो के साथ अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा प्रस्तुत Student welfare Fund की Guidelines पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

V.C.

अन्य बिन्दु संख्या–03

प्रो0 नवीन कुमार खरे, द्वारा To appoint superannuating professors as "Professors of Eminence" as per basis of G.O. of State Government, UP (No. 2/2018/69 sattar-1-2018-16(58)/2017 dated 18-01-2018). सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि प्रकरण प्रथमतः कार्य–परिषद के समक्ष लाया जाना उचित होगा।

अन्य बिन्दु संख्या–04

समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक, लखनऊ विश्वविद्यालय शाखा द्वारा पत्र संख्या यूको/एलयू./मिस./668 दिनांक 21.05.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के बैंक खाते से अनाधिकृत रूप से भुगतानित धनराशि रू0 1,39,78,067/– के क्षतिपूर्ति पर सहमति के साथ क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु एक Indemnity Bond का प्रारूप विश्वविद्यालय को भेजा गया है। Bond का प्रारूप वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति ने अपनी सहमति प्रदान कर दी।

अन्य बिन्दु संख्या–05

प्रो0 नवीन कुमार खरे, द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में Faculty of Yoga and Alternative Medicine के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम संचालित किये जाने एवं पाठ्यक्रम के शुल्क का निर्धारण तथा संविदा के आधार शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पदो के सृजन एवं पाठ्यक्रम के आय–व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए प्रस्ताव को कार्य–परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–06

परीक्षा नियंत्रक द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के नवनिर्मित न्यू कामर्स भवन (वाणिज्य विभाग) एवं अटल बिहारी बाजपेयी भवन में परीक्षाओं के सफल एवं शुचितापूर्ण आयोजन हेतु सभी कक्षों एवं बरामदों में लगभग 60 (साठ) सी.सी.टी.वी. कैमरा (वाइस रिर्काडर सहित) लगाए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि क्रय प्रदेश सरकार के क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए।

V.C.

अन्य बिन्दु संख्या–07

समन्वयक, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा मेकेनिकल इंजीनियरिंग में आटोमोबाइल प्रयोगशाला में छात्र/छात्राओं के प्रयोगिक कार्य हेतु निष्प्रयोज्य एक डीजल एवं एक पेट्रोल वाहन की मॉग से सम्बन्धित निम्नवत् प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गयाः–

1. वाहन संख्या यू.पी. 32 वी. 0848 (एम्बेस्डर–पेट्रोल) तथा वाहन संख्या यू.पी.32 टी–5184 (बस–डीजल) निष्प्रयोज्य योग्य है।
2. उक्त वाहनों को परिवहन विभाग से निष्प्रयोज्य घोषित कराया जाएगा।
3. परिवहन विभाग द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित होने तथा न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये जाने के उपरान्त फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीरियरिंग मे आटोमोबाइल प्रयोगशाला में छात्र/छात्राओं के प्रयोगिक कार्य हेतु निः शुल्क दिया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करने के उपरान्त छात्र/छात्राओं की सुविधा के दृष्टिगत उक्त वाहनों को परिवहन विभाग से निष्प्रयोज्य घोषित कराने के उपरान्त शासकीय नियमों एवं निर्देशों के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

(मदन राजा मौर्य)
संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक कोषागार,
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

(प्रो0 ए. एम. सक्सेना)
परीक्षा नियंत्रक

(डा0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

(संजय श्रीवास्तव)
वित्त अधिकारी

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति